प्रेषक,

श्री राकेश गर्ग,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0 प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनाँक- 26 जून, 2002

विषय : वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवासीय योजना (वैम्बे) एवं नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ. प्र. द्वारा निर्धनतम आश्रयहीनों के लिए आश्रय कोष के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग आवास का निर्माण/सुधार योजना के संचालन हेतु आश्रय कोष की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निर्धनतम दुर्बल आय वर्ग आवासों के निर्माण/सुधार हेतु शासनादेश संख्या-4260/69-1-2000-5 (एसडी)/2000 दिनांक 27.11.2000 तथा शासनादेश संख्या-4262/69-1-2000-5 (एसडी)/2000 दिनांक 28.11.2000 द्वारा आश्रय कोष की स्थापना की गयी थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वैम्बे) लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत आवासों का निर्माण कराया जा सकता है ऐसी स्थिति में उक्त आश्रय कोष से संचालित योजना को इस योजना से डावटेल (Dovatail)किया जाना आवश्यक हो गया है। अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनाँक 27.11.2000 एवं 28.11.2000 को तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए वैम्बे योजना के संचालन तथा आश्रय कोष के उपभोग हेतु निम्न निर्णय लिये गये है :-

(1) अब आश्रय कोष में निम्नलिखित धनराशियाँ सम्मिलित होंगी :-

(अ) राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत आवास के निर्माण/सुधार हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है।

(ब) उपरोक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज।

(स) पूर्व आश्रय कोष में से राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना की 10 प्रतिशत धनराशि तथा इस पर अर्जित ब्याज ही वर्तमान समय में आश्रय कोष में लिया जायेगा तथा शेष ब्याज की धनराशियां जो वर्तमान में आश्रय कोष में सम्मिलित नही है, सम्बन्धित योजनाओं में स्थान्तरित करते हुए योजनाओं में ही सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(2) बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण/सुधार का कार्य किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं से कार्य लिये जाने पर विचार किया जा सकता है :-

(क) आवास विकास परिषद

(ख) विकास प्राधिकरण

(ग) नगर निगम

(घ) डूडा

कार्यदायी संस्थाओं को सब्सिडी को धनराशि वैम्बे योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अर्न्तगत निर्धारित दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में शेष 50 प्रतिशत के संबंध में निर्णय लिया गया है कि कार्यदायी संस्था को लाभार्थी से रू0 5000/- अंशदान के रूप में प्राप्त करना होगा तथा रू0 15,000/- या अधिक (वैम्बे योजना में आवास हेतु अनुमन्य लागत की सीमा तक धनराशि को पूर्ण करने हेतु) का ऋण प्रति लाभार्थी उन्हें अपने श्रोतों से उपलब्ध कराना होगा जिसकी हडको द्वारा दुर्बल आय वर्ग के मकानों के लिए दिये जाने वाले ऋण हेतु निर्धारित दर से ब्याज सहित वसूली कार्यदायी संस्था द्वारा 10 वर्षो की मासिक किश्तों मे लाभार्थी से की जायेगी।

यद्यपि इस योजना में ऋण का अंश कार्यदायी संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा तथापि आवश्यकता पड़ने पर वे इस हेतु हडको से ऋण प्राप्त कर सकते है। विशिष्ट योजनाओं हेतु सूडा द्वारा उपरोक्त पैरा (1) के अनुसार स्थापित आश्रय कोष की धनराशि से भी इन संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। आश्रय कोष से ऋण उपलब्ध कराने से पूर्व निदेशक, सूडा द्वारा सम्बन्धित विशिष्ट वैम्बे योजना को आश्रय कोष से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सचिव (नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग) की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कार्यदायी संस्था को सूडा द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ऋण उपयोग के साथ-साथ सूडा को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि उसे भारत सरकार को प्रोषित किया जा सके।

वाम्बे योजना के अन्तर्गत दी गयी सब्सिडी के भी उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा शीर्ष वरीयता पर सूडा को उपलब्ध कराये जायेंग ताकि इसे हडको को प्रेषित किया जा सके।

पूर्व मे जिन नगरों में आश्रय कोष के अन्तर्गत धनराशियाँ उपलब्ध करायी गयी है तथा कार्य आरभ हो चुका है, उन नगरों में कार्य पूर्व शासनादेश के अनुसार पूर्ण कराये जायेंगे।

वैम्बे योजना से सम्बन्धित भारत सरकार के दिशा निर्देशों तथा इस योजना में जारी अन्य शासनादेशों का अनुपालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित किया जायेगा।

नवीन रूप से स्थापित आश्रय कोष का संचालन पृथक खाता खोलकर किया जायेगा जिसका संचालन सूडा स्तर पर निदेशक, सूडा व वित्त नियंत्रक, सूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से तथा डूडा स्तर पर अध्यक्ष, डूडा एवं परियोजना निदेशक, डूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ऋण की वसूली की जायेगी एवं ऋण की वसूली न होने की दशा में ऋणदाता द्वारा लाभार्थी से ऋण की समस्त राशि ब्याज सहित भू राजस्व के बकाया की भांति जिलाधिकारी से वसूल करायी जा सकती है। भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली की जा सके इस हेतु सूडा द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त कर लाभार्थी से ऋण देने से पूर्व होने वाले अनुबंध में आवश्यक उपबन्ध (क्लाज) डाले जायेंगे। जबतक लाभार्थी से ऋण व ब्याज की धनराशि वसूल नही हो जाती है तबतक उक्त आवास/भूमि ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रहेगी।

उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
राकेश गर्ग
सचिव

ख्या-1795(1)/69-1-2002-5 (एस.डी.)/2000, तद्दिनांक।

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, यू0पी0ए0 डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली।

गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
श्याम लाल तिवारी
संयुक्त सचिव